305

[2019] 17 एस. सी. आर. 305

क.

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम.

बी. हीरा नाइक और ओआरएस। ईटीसी।

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1734-1736) नवंबर 26,2019

[अशोक भूषण और एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.** जे**.]**

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974:एस. 10-क्या नगर पालिका परिषद सरकार का विभाग है-आयोजित:सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल एक परिषद है, जिसे एस के तहत शामिल किया गया है।10 कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम, 1964-एस के अनुसार शहर और नगर नगर परिषद।10 "एक निकाय निगमित" है-इसी तरह, कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 के तहत, नगर निगमों का गठन निगम के रूप में किया जाता है।10 – नगरपालिका नगर परिषद और नगर निगम, जो राज्य अधिनियमों द्वारा बनाए गए हैं, सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, कौन से निकाय सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त करते हैं-यह अच्छी तरह से तय है कि नगर निगम सरकार की साधन या एजेंसी हैं-सवाल यह है कि क्या नगरपालिका अधिनियम के तहत गठित नगर नगर परिषद को सरकार का विभाग माना जा सकता है-यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई संस्थान निगम है या सरकार का विभाग है, यह पता लगाने के लिए पहला परीक्षण यह है कि क्या उपक्रम एक जिम्मेदार स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करता है और राज्य के किसी विभाग के हिस्से के रूप में नहीं है; दूसरा परीक्षण यह है कि क्या यह दायित्वों को अनुबंध करने और मुकदमा करने और मुकदमा करने की क्षमता से संपन्न है-नगरपालिका क्षेत्र के गठन की योजना और अधिनियम, 1964 के अन्य प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि नगरपालिकाएँ हैं

ग

डी.

ई.

च

जी.

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974:धारा 47,48-नगर निगम के नगर आयुक्त का अभियोजन

एच.

305 ए.

नगर पालिका परिषद की परिषद और मुख्य अधिकारी-जब नगर पालिका परिषद या निगम द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो क्या उन पर अधिनियम, 1974 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और ऐसे निकायों पर मुकदमा चलाने के लिए कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया क्या है-आयोजित:धारा 47 में "कंपनियों द्वारा अपराध" शीर्षक शामिल है-कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराओं में निहित है।3 – कंपनी अधिनियम, 1956 में निहित कंपनी की परिभाषा स्पष्ट रूप से कंपनी की अभिव्यक्ति में उधार नहीं ली गई है जैसा कि एस में उपयोग किया गया है।47 अधिनियम, 1974-कंपनी को एस में परिभाषित किया गया है।47 बहुत व्यापक और समावेशी तरीके से अधिनियम, 1974 का स्पष्टीकरण।47 यह बताता है कि "कंपनी" का अर्थ है "कोई भी निगमित निकाय"-इस प्रकार, सभी निगमित निकायों को एस के अनुसार कंपनी की परिभाषा के भीतर शामिल किया जाता है।47 – इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि नगर पालिका परिषद एक निगमित निकाय है,

जिसे स्पष्ट रूप से एस के तहत प्रदान किया गया है।10 अधिनियम, 1964-अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को देखते हुए,एस. 47 का सहारा निगमित निकाय द्वारा किए गए अपराधों के लिए लिया जा सकता है -धारा. 49 में अधिनियम के तहत सभी अपराधों का संज्ञान शामिल है-क्या अपराध एस. एस. के दायरे में आते हैं।47 या 48 का किसी अपराध का संज्ञान लेने की न्यायालय की शक्ति से कोई लेना-देना नहीं है-कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विशेष रूप से एस का उल्लेख करते हुए संज्ञान लेने के लिए शिकायत दायर की।49 अधिनियम, 1974-इस प्रकार, यदि कोई अपराध किसी के द्वारा किया जाता है, तो इसका संज्ञान धाराओं के तहत लिया जा सकता है।49 – हालांकि, एक निकाय कॉर्पोरेट द्वारा अपराधों को एस द्वारा कवर किया जाना है।47, क्योंकि निगमित निकायों द्वारा किए गए अपराधों की स्थिति में एस द्वारा कवर नहीं किया जाता है।47, एस का लाभ।47(1) परंतुक उन निगमित निकायों के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जो विधानमंडल का इरादा नहीं हो सकता है-इस प्रकार, नगर नगर परिषद जैसे निगमित निकायों द्वारा किए गए अपराध धाराओं के तहत आते हैं।49 इसे कंपनी द्वारा अपराध माना जाता है जैसा कि एस में प्रदान किया गया है।47 – नगर निगम परिषद के नगर आयुक्त और नगर नगर परिषद के मुख्य अधिकारी के खिलाफ अपीलकर्ता-बोर्ड द्वारा शिकायत बनाए रखने योग्य थी-कंपनी अधिनियम, 1956 -एस. 3.

ग

डी.

ई.

च

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974:अधिनियमन का विधायी आशय-जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और जल की संपूर्णता को बनाए रखने या बहाल करने के लिए संसद द्वारा अधिनियम, 1974 अधिनियमित किया गया था।

जी.

नगरपालिकाएँ:नगर परिषद/निगम के कर्तव्य-आयोजित:नगर पालिका परिषद और नगर निगम ए हैं

एच.

307

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम बी. हीरा नाइक और ओआरएस। ईटीसी।

राज्य द्वारा सृजित या निगमित और नगरपालिका कार्यों के साथ सौंपा गया-निगम को सौंपे गए मुख्य कार्यों में से एक निवासियों को स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना, नगरपालिका क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करना है, जो नगर परिषद और निगम के कर्तव्यों में से एक है।

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1.1** अधिनियम**, 1974** को संसद द्वारा जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बोर्डों की स्थापना के लिए**,** जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बोर्डों के उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से**,** ऐसे बोर्डों को संबंधित शक्तियों और कार्यों को प्रदान करने और सौंपने और उनसे जुड़े मामलों के लिए**,** जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और पानी की संपूर्णता को बनाए रखने या बहाल करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।**[**पैरा **7] [313-**एच**; 314-**ए**-**बी**]**

ग

1.2 अधिनियम**, 1974** की धारा **48** को आकर्षित किया जाता है जहां अपराध सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किया जाता है।अधिनियम**, 1974** के साथ**-**साथ कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम**, 1964** के प्रावधानों पर यह पता लगाने के

लिए गौर किया जाना चाहिए कि क्या कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम, **1964** के तहत गठित नगर नगर परिषद के आयुक्त या नगर नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को किसी भी सरकारी विभाग के विभाग का प्रमुख माना जा सकता है।सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल एक परिषद है, जिसे कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम, **1964** की धारा **10** के तहत शामिल किया गया है।धारा **10** के अनुसार नगर और नगर नगर पालिका परिषद "एक निगमित निकाय" है।इसी तरह, कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, **1976** के तहत, नगर निगमों का गठन धारा **10** के आधार पर निगम के रूप में किया जाता है।सरकार के कार्यों को पूरा करने के लिए निगमित निकाय और निगम बनाने की अवधारणा सरकार की एक आधुनिक अवधारणा है।आधुनिक सरकारों ने अपने नागरिकों, निवासियों के जीवन को प्रभावित करने वाले बड़े कार्य किए हैं।भारत के संविधान में अंतर्निहित योजना सरकारों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सुरक्षित करने के लिए संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यों को करने के लिए सौंपती है और उन्हें बाध्य करती है।**[**पारस **11,12,13] [316-**ई**-**जी**; 317-**सी**-**ई**]**

डी.

ई.

च

जी.

1.3 नगरपालिका नगर परिषद और नगर निगम, जो राज्य अधिनियमों द्वारा बनाए गए हैं, द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं

एच.

क.

सरकार, जो निकाय भी सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं।यह अच्छी तरह से तय है कि नगर निगम सरकार के साधन या एजेंसी हैं।सवाल यह है कि क्या नगरपालिका अधिनियम के तहत गठित नगर पालिका परिषद को सरकार का विभाग माना जा सकता है।अधिनियम, **1974** के तहत राज्य सरकार को धारा **2 (i)** में परिभाषित किया गया है।राज्य बोर्डों के गठन में, राज्य सरकार राज्य में काम करने वाले स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों को, राज्य सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन वाली कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों के साथ-साथ उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए गैर-न्यायिक सदस्यों को नामित करती है।**[**पैरा **14] [318-**बी**-**डी**]**

ग

2.1 अधिनियम की योजना से संकेत मिलता है कि बोर्ड में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग-अलग सदस्य हैं, राज्य में काम करने वाले स्थानीय प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग-अलग सदस्य हैं और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग-अलग सदस्य हैं।सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन वाली कंपनियाँ या निगम सभी अधिनियम में उपयोग की जाने वाली अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हैं। यह पता लगाना होगा कि क्या कोई संस्थान सरकार का निगम है या विभाग है, यह उस योजना से पता लगाया जाना चाहिए जिसके तहत इसे बनाया गया है।यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई संस्थान एक निगम है या सरकार का एक विभाग है, परीक्षणों में से एक यह जांच करना है कि क्या उपक्रम एक जिम्मेदार स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करता है न कि राज्य के किसी विभाग के हिस्से के रूप में।दूसरा परीक्षण यह देखने के लिए होगा कि क्या यह अनुबंध दायित्वों और मुकदमा करने और मुकदमा चलाने की क्षमता से संपन्न है।इसके अलावा, एक मुहर रखने, उपयोग करने और बदलने की शक्ति एक निगम के लिए आकस्मिक है और एक निगम कुल, एक सामान्य नियम के रूप में, केवल अपनी सामान्य मुहर के तहत विलेख द्वारा कार्य या अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम, **1964** एक निकाय निगमित के रूप में एक नगर और नगर नगर परिषदों का प्रावधान करता है।नगरपालिका पर राज्य सरकार का नियंत्रण एक अलग अध्याय, यानी अध्याय **XII** में प्रदान किया गया है। नगरपालिका क्षेत्र के गठन की योजना और अधिनियम, **1964** के अन्य प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि नगरपालिकाएं सरकार का विभाग नहीं हैं।**[**पैरा **15] [319-**जी**-**एच**; 320-**ए**-**डी**]**
ए

डी.

ई.

च

जी.

एच.

309

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम बी. हीरा नाइक और ओआरएस। ईटीसी।

2.2 अनुच्छेद **243** पी उपखंड **(**ई**)** **"**नगर पालिका**"** को अनुच्छेद **243** क्यू के तहत गठित स्वशासन की संस्था के रूप में परिभाषित करता है। संविधान में नगर पालिका को स्वशासन के एक निकाय के रूप में भी परिकल्पित किया गया है। अधिनियम**,** **1964** और अधिनियम**,** **1974** के प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिका परिषद को राज्य सरकार का विभाग नहीं माना जा सकता है।यह पता चलने के बाद कि नगर पालिका परिषद सरकार का विभाग नहीं है**-**सवाल यह है कि क्या उन्हें अधिनियम**,** **1974** के तहत अभियोजन से छूट दी गई है।नगर नगर परिषद और नगर नगर निगम राज्य द्वारा बनाए या निगमित किए जाते हैं और उन्हें नगर निगम के कार्य सौंपे जाते हैं।निगम को सौंपे गए मुख्य कार्यों में से एक निवासियों को स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना**,** नगरपालिका क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करना है**,** जो नगर परिषद और निगम के कर्तव्यों में से एक है।**[**पारस **16,18] [320-**ई**-**एफ**; 321-**ए**]**

ग

जब नगर पालिका परिषद या निगम द्वारा कोई अपराध किया जाता है**,** तो क्या उन पर अधिनियम**,** **1974** के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और ऐसे निकायों के अभियोजन के लिए कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया क्या है**?**

डी.

3.1 धारा **47** में **"**कंपनियों द्वारा अपराध**"** शीर्षक शामिल है।धारा **47 (1)** धारा **48** के समान है।कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम**,** **1956** की धारा **3** में निहित है।कंपनी अधिनियम**,** **1956** में निहित कंपनी की परिभाषा स्पष्ट रूप से कंपनी की अभिव्यक्ति में उधार नहीं ली गई है जैसा कि अधिनियम**,** **1974** की धारा **47** में उपयोग किया गया है।कंपनी को अधिनियम**,** **1974** की धारा **47** में बहुत व्यापक और समावेशी तरीके से परिभाषित किया गया है।व्याख्या में कहा गया है कि **"**कंपनी**"** का अर्थ है **"**कोई भी निगमित निकाय**"**।इस प्रकार**,** सभी निकाय निगमों को धारा **47** के अनुसार कंपनी की परिभाषा के भीतर शामिल किया गया है।इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि नगर पालिका परिषद एक निगमित निकाय है**,** जिसे अधिनियम**,** **1964** की धारा **10** के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।**[**पारस **19,20] [321-**सी**-**ई**-**जी**]**

ई.

च

जी.

3.2 निगमित निकाय द्वारा अपराधों के लिए धारा **47** का सहारा लिया जा सकता है और कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धारा **49** के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करके कोई त्रुटि नहीं की है।धारा **49** अधिनियम के तहत सभी अपराधों का संज्ञान लेती है। चाहे अपराध धारा **47** या **48** के अंतर्गत आते हैं**,** इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है **-**

एच.

क.

न्यायालय की किसी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति।कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिनियम**, 1974** की धारा **49** का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए संज्ञान लेने के लिए शिकायत दर्ज की है।इस प्रकार**,** यदि किसी के द्वारा कोई बाड़ लगाई जाती है**,** तो धारा **49** के तहत इसका संज्ञान लिया जा सकता है।तथापि**,** निगमित निकाय द्वारा अपराध धारा **47** द्वारा कवर किए जाने हैं**,** क्योंकि यदि निगमित निकाय द्वारा अपराध धारा **47** द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं**,** तो धारा **47 (1)** परंतुक का लाभ उन निगमित निकायों को उपलब्ध नहीं होगा**,** जो विधानमंडल का इरादा नहीं हो सकता है।इस प्रकार**,** सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल जैसे निकाय कॉर्पोरेट द्वारा बाड़ को धारा **49** के तहत कवर किया गया है**,** जो इसे धारा **47** में प्रदान की गई कंपनी द्वारा अपराध मानता है।**[**पैरा **29,31] [328-**जी**-**एच**; 329-**जी**-**एच**; 330-**ए**]**

ग

वी. सी. चिन्नाप्पा गौड़ बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ए. एन. आर. [2015] 3 एससीआर 652; श्री डी. एच. राया बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

2007 की आपराधिक याचिका **No.831-**विशिष्ट।

डी.

हाकम सिंह बनाम एम./एस. गैमन (इंडिया) लिमिटेड, (1971) 1

एससीसी **286:[1971] 3** एस**.** सी**.** आर**. 314-**पर निर्भर।

रमण दयराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य**, (1979) 3** एस**.** सी**.** सी**. 489: [1979] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1014;** सुभाष चंद्र बनाम गुलाब बाई

ई.

और अन्य, (2016) 4 एससीसी 750; रंजीत नारायण

हक्सर बनाम सुरेंद्र वर्मा, 1995 एम. पी. एल. जे. 21; अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड,

(2012) 5 एससीसी 661:[2012] 5 एस. सी. आर. 503; अरुण कुमार

सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य। **[2006] 2** एससीआर

च

1058 – संदर्भित किया गया।

निर्णीत विधि संदर्भ

[2015] 3 एससीआर **652**

विशिष्ट पैरा **6 [1979] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1014** पैरा **13 [1971] 3** एस**.** सी**.** आर**. 314**

जी.

पर भरोसा किया

पैरा **21**

(2016) 4 एससीसी **750**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

1995 एमपीएलजे **21**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

[2012] 5 एससीआर **503**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27**

[2006] 2 एससीआर **1058**

संदर्भित किया गया है

पैरा **28** ए

एच.

311

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम बी. हीरा नाइक और ओआरएस। ईटीसी।

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1734-1736।

2012 की आपराधिक याचिका संख्या 2627 सी/डब्ल्यू आपराधिक याचिका संख्या 1537 और 2011 की 1010 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से।

एस. जे. अमित, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, मुकेश कुमार सिंह, आर. सी. प्रकाश, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण**,** जे।

ग

1. ये अपीलें एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं कि क्या शहर नगर परिषद के आयुक्त और शहर नगर परिषद के मुख्य अधिकारियों पर जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (इसके बाद "अधिनियम, 1974" के रूप में संदर्भित) की धारा 48 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।इन अपीलों द्वारा, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 16.02.2015 के फैसले को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रतिवादियों द्वारा दायर धारा 482 Cr.P.C के तहत आवेदन, जो नगर आयुक्त और नगर परिषद के मुख्य अधिकारियों के रूप में काम कर रहे थे, को अनुमति दी गई थी और अधिनियम, 1974 के तहत अपीलार्थी द्वारा उनके अभियोजन के लिए शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है।

डी.

ई.

2. उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.02.2015 के विवादित फैसले के माध्यम से धारा 482 Cr.P.C के तहत तीन अलग-अलग आवेदनों की अनुमति दी है।तीनों आवेदन समान तथ्यों के आधार पर दायर किए गए थे।इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय में दायर 2012 की आपराधिक याचिका में तथ्यों का उल्लेख करना पर्याप्त है।

च

3. इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए जिन संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, वे हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

3.1 अपीलार्थी कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिनियम, 1974 की धारा 4 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। बोर्ड एक निगमित निकाय है जिसके पास स्थायी उत्तराधिकार और आम मुहर है।अधिनियम, 1974 में अधिनियम, 1974 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है।

जी.

3.2 अपील के पहले प्रतिवादी श्री बी. हीरा नाइक हैं, जो आयुक्त, नगर नगर परिषद, कृष्णराजपुरम, बैंगलोर के रूप में काम कर रहे थे।दोसर उत्तरदाता एम. ए. बेग आ

एच.

312

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 17 एस सी आर।

तीसरे प्रतिवादी डी. एल. नारायण नगर नगर परिषद, कृष्णराजपुरम, बैंगलोर के पूर्व आयुक्त भी थे।

क.

3.3 कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम, 1974 की धारा 43 और 44 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने और उन्हें अपराधों के लिए दंडित करने का अनुरोध करते हुए बैंगलोर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में 2006 का सी. सी. <आई. डी. 1 होने के नाते एक शिकायत दर्ज की।शिकायत में, सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल, कृष्णराजपुरम, बैंगलोर को आरोपी नंबर 1 के रूप में शामिल किया गया था और प्रतिवादी नंबर 2 सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल के आयुक्त थे और प्रतिवादी नंबर 3 से 7 सभी पूर्व-आयुक्त थे, जिन्होंने शिकायत दर्ज करने की तारीख तक 03.11.2004 से विभिन्न अवधियों से आयुक्त का पद संभाला था।शिकायत में कहा गया है कि बोर्ड ने आरोपी व्यक्तियों को उपचार के बाद सीवेज के अपशिष्ट को छोड़ने के लिए सहमति दी थी जो 30.06.2006 पर समाप्त हो गई थी और उसके बाद इसका नवीनीकरण नहीं किया गया है।उक्त सहमति की शर्तों में से एक शर्त यह थी कि आरोपी व्यक्तियों को शहर नगर परिषद क्षेत्र में उत्पन्न सीवेज के उपचार के लिए छह महीने के भीतर सीवेज उपचार संयंत्र प्रदान करना चाहिए, जो अभी तक नहीं किया गया है, और न ही इस संबंध में कोई कदम उठाया गया है, और दूसरी ओर, आरोपी व्यक्तियों ने लगातार अनुपचारित सीवेज को तालाबों, झीलों, प्राकृतिक घाटियों जैसे जल निकायों में छोड़ दिया है।शिकायत में कहा गया है कि आई. डी. 1 के बाद सहमति प्राप्त न करना, सीवेज उपचार संयंत्र प्रदान न करना, भूमिगत जल निकासी सुविधा के तहत और पड़ोसी जल निकायों में अनुपचारित सीवेज का निर्वहन करना अधिनियम, 1974 की धारा 25 का उल्लंघन है, जो अधिनियम, 1974 की धारा 44 के तहत दंडनीय है।

ग

डी.

ई.

3.4 कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल, केंगेरी, बैंगलोर और टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल के मुख्य अधिकारी के साथ-साथ सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल, राजराजेश्वरी नगर, मैसूर रोड और इसके आयुक्त के खिलाफ इसी तरह की शिकायतें दर्ज की गईं।

च

3.5 इन अपीलों के प्रतिवादियों ने अधिनियम, 1974 के तहत प्रतिवादियों के अभियोजन के लिए अपीलार्थी द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करते हुए धारा 482 Cr.P.C के तहत आपराधिक याचिकाएं दायर कीं। 3.6 उच्च

न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने दिनांक 16.02.2015 के फैसले के माध्यम से धारा 482 Cr.P.C के तहत दायर सभी तीन आवेदनों को अनुमति दी।

जी.

एच.

313

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम बी. हीरा नाइक और ओआरएस। ईटीसी। [अशोक भूषण, जे।] ए.

2007 की आपराधिक याचिका संख्या 831, जिसने बदले में 2008 की रिट याचिका संख्या 30,010 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया था।डिवीजन बेंच ने कहा था कि नगर परिषद के आयुक्त, मुख्य अधिकारी या परिषद को विभाग का प्रमुख नहीं कहा जा सकता है और उन पर अधिनियम, 1974 की धारा 48 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ये अपीलें दायर की गई हैं।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील को सुना है।उत्तरदाताओं की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ, हालांकि सेवा दी गई।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क है कि कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 (इसके बाद "अधिनियम, 1976" के रूप में संदर्भित) के तहत गठित निगम और कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम, 1964 (इसके बाद "अधिनियम, 1964" के रूप में संदर्भित) के तहत गठित नगर पालिकाओं को बड़ी संख्या में नगरपालिका कार्यों और वैधानिक कर्तव्यों को सौंपा गया है। अधिनियम, 1974 के प्रावधानों में दंड और प्रक्रिया का भी प्रावधान है और जो कोई भी अधिनियम, 1974 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।नगर निगम और नगरपालिकाएँ, जो अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं, उन पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है।नगर निगम, नगर परिषद के आयुक्त और नगर परिषद के मुख्य अधिकारी संबंधित निगम और परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं और वे विभाग के प्रमुख होने के नाते, निगम या परिषद के होने के नाते, धारा 74 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं।उच्च न्यायालय ने आयुक्त और मुख्य अधिकारी के खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को यह गलत दृष्टिकोण रखते हुए रद्द करने में गलती की कि वे विभाग के प्रमुख नहीं होने के कारण उन पर मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

ग

डी.

ई.

च

6. विद्वान वकील आपराधिक मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर निर्भर करता है

2010 की अपील सं**. 755-**वी**.** सी**.** चिन्नाप्पा गौदर बनाम। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ए**.** एन**.** आर**.** ने **10.03.2015** पर निर्णय लिया

जिसे अधिनियम, 1974 के तहत उनके अभियोजन को चुनौती देने वाले आयुक्त और मुख्य आयुक्त के आवेदनों को खारिज करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की गई।वे प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय को धारा 482 Cr.P.C के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द नहीं करना चाहिए था।7. इससे पहले कि हम अपीलार्थी की प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, अधिनियम, 1974 के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना उपयोगी है।अधिनियम, 1974 को संसद द्वारा रोकथाम और रोकथाम के प्रावधान के लिए अधिनियमित किया गया था।

जी.

एच.

जल प्रदूषण का नियंत्रण और जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बोर्डों की स्थापना के लिए, उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से, पानी की संपूर्णता को बनाए रखना या बहाल करना, ऐसे बोर्डों को संबंधित शक्तियों और कार्यों को प्रदान करना और उन्हें सौंपना और उनसे जुड़े मामलों के लिए।अधिनियम, 1974 में, केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्डों का गठन आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किया जाता है।बोर्ड की शक्तियाँ और कार्य अध्याय IV में दिए गए हैं। धारा 24 प्रदूषणकारी पदार्थों आदि के निपटान के लिए धारा या कुएं के उपयोग पर प्रतिबंध का प्रावधान करती है और धारा 25 नए आउटलेट और नए निर्वहन पर प्रतिबंध का प्रावधान करती है।धारा 26 में सीवेज या व्यापार अपशिष्ट के मौजूदा निर्वहन के संबंध में प्रावधान है।धारा 27 राज्य बोर्ड द्वारा सहमति से इनकार या वापसी से संबंधित है।अधिनियम के अध्याय VII में दंड और प्रक्रिया का प्रावधान है।धारा 41 उन परिस्थितियों और कार्यों की गणना करती है जिन पर किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है।धारा 43 से 46 विभिन्न दंडों से संबंधित है।धारा 47 कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है और धारा 48 सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है, जो प्रासंगिक हैं, वे इस प्रकार हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

“47. कंपनियों द्वारा अपराध।—(1) जहाँ इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था, और कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगाः

ई.

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसा अपराध करने से रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

च

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और यह साबित होता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

जी.

एच.

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए-(ए) "कंपनी" का अर्थ है कोई भी निगमित निकाय, और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और

क.

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ है फर्म में भागीदार।

48. सरकारी विभागों द्वारा अपराध।— कहाँ एक

इस अधिनियम के तहत अपराध सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किया गया है, विभाग के प्रमुख को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगाः

ग

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी विभाग के ऐसे प्रमुख को किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

डी.

8. उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवादित निर्णय में कि नगर परिषद के आयुक्त, मुख्य अधिकारी या परिषद को विभाग का प्रमुख नहीं कहा जा सकता है, उच्च न्यायालय के दो पहले के फैसलों पर भरोसा रखा है, अर्थात् (i) 2007 की आपराधिक याचिका संख्या 831 दिनांक 18.01.2012 और (ii) रिट याचिका (C) में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ का निर्णय दिनांक 30.10.2008

ई.

2008 का **No.30610-**श्री वी**.** सी**.** चिन्नाप्पा गौदर बनाम। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

9. हम डिवीजन बेंच के फैसले से गुजरे हैं

वी. सी. चिन्नाप्पा गौदर (ऊपर) में कर्नाटक उच्च न्यायालय, जो

च

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने वाली सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल के एक आयुक्त द्वारा दायर एक रिट याचिका थी, रिट याचिका में चुनौती इस आधार पर कार्यवाही को रद्द करने की थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई धारा 197 के अनुसार सरकार से पूर्व मंजूरी के अभाव में अधिकार क्षेत्र के बिना है। डिवीजन बेंच अधिनियम, 1974 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अधिनियम, 1974 की धारा 48 का उल्लंघन करने वाले अपराध के लिए बोर्ड द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए किसी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और रिट याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया गया था।फैसले में न तो इस बात पर चर्चा हुई कि नगर परिषद के आयुक्त किसी भी सरकारी विभाग के विभाग के प्रमुख नहीं हैं और न ही

जी.

एच.

उपरोक्त प्रभाव का कोई भी अनुपात था।उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया एक अन्य निर्णय आपराधिक याचिका में उच्च न्यायालय का निर्णय है

2007 का **No.831--** श्री डी**.** एच**.** राया बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड, जिसे अनुबंध पी-के रूप में भी दर्ज किया गया है।11. उक्त निर्णय एक नगर नगर परिषद के मुख्य अधिकारी द्वारा अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत अपराध के लिए कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दायर शिकायत को रद्द करने का अनुरोध करते हुए दायर की गई धारा 482 Cr.P.C के तहत एक याचिका भी थी।उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील सं. में इस न्यायालय के पूर्व खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया।

– 755 2010-वी. सी. चिन्नाप्पा गौदर (ऊपर) और अनुमति दी

याचिका।फैसले में न तो इस बात पर चर्चा की गई कि मुख्य अधिकारी किसी भी सरकारी विभाग के विभाग का प्रमुख नहीं है और न ही उपरोक्त प्रभाव का कोई अनुपात है।इस प्रकार, शिकायत को रद्द करने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय गलत था।

ग

10. अब हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या नगर नगर परिषद के नगर आयुक्त या नगर नगर परिषद के मुख्य अधिकारी सरकार के किसी भी विभाग के विभाग के प्रमुख हैं, जो उच्च न्यायालय के फैसले का अनुमानित आधार था।

डी.

11. अधिनियम, 1974 की धारा 48 में प्रावधान है कि "जहां सरकार के किसी विभाग द्वारा अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, तो विभाग के प्रमुख को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।"इस खंड का शीर्षक "सरकारी विभागों द्वारा अपराध" है।इस प्रकार, धारा 48 को आकर्षित किया जाता है जहां अपराध सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किया जाता है।इस प्रकार, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम, 1964 के तहत गठित नगर नगर परिषद के आयुक्त या नगर नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को सरकार के किसी भी विभाग के विभाग का प्रमुख माना जा सकता है।उपरोक्त प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अधिनियम, 1974 के साथ-साथ कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम, 1964 के प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए।सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल एक परिषद है, जिसे कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम, 1964 की धारा 10 के तहत शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

च

जी.

“10. नगर और नगर नगरपालिका परिषदों का समावेश।—

(1) प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में एक नगर परिषद होगी और ऐसी प्रत्येक नगर परिषद ए द्वारा निगमित एक निकाय होगी।

एच.

317

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम बी. हीरा नाइक और ओआरएस। ईटीसी। [अशोक भूषण, जे।] ए.

"यथास्थिति, नगर नगरपालिका परिषद" या "नगर नगरपालिका परिषद" के नाम का, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने और अनुबंध करने की शक्ति के साथ स्थायी उत्तराधिकार और एक आम मुहर होगी और उक्त नाम से अपने मुख्य अधिकारी या नगर आयुक्त के माध्यम से मुकदमा दायर किया जा सकता है और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, किसी नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका सरकार नगर परिषद में निहित होगी।"

12. जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, धारा 10 के अनुसार नगर और नगर नगर पालिका परिषद "एक निगमित निकाय" है। इसी तरह, कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 के तहत, नगर निगमों का गठन धारा 10 के आधार पर निगम के रूप में किया जाता है।

ग

13. सरकार के कार्यों को पूरा करने के लिए निगमित निकाय और निगम बनाने की अवधारणा सरकार की एक आधुनिक अवधारणा है।आधुनिक सरकारों ने अपने नागरिकों, निवासियों के जीवन को प्रभावित करने वाले बड़े कार्य किए हैं।भारत के संविधान में अंतर्निहित योजना सरकारों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सुरक्षित करने के लिए संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यों को करने के लिए सौंपती है और उन्हें बाध्य करती है।रमन्ना में यह न्यायालय

डी.

दयराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य **(1979) 3** एस**.** सी**.** सी**. 489:**ए**.** आई**.** आर**. 1979** एस**.** सी**. 1628** ने आवश्यकता का उल्लेख किया है।

ई.

सरकारी कार्यों को जारी रखने के लिए एक नया साधन या प्रशासनिक उपकरण बनाना।इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः- “अब, यह स्पष्ट है कि जो सरकार राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करती है, वह प्राकृतिक व्यक्तियों के साधन या एजेंसी के माध्यम से कार्य कर सकती है या वह अपने कार्यों को करने के लिए न्यायिक व्यक्तियों के साधन या एजेंसी को नियुक्त कर सकती है।शुरुआती दिनों में, जब सरकार के सीमित कार्य थे, तो यह अपनी सिविल सेवा का गठन करने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से काम कर सकती थी और उन्हें सरकारी कार्यों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त पाया गया, जो पारंपरिक पुराने समय के थे।लेकिन जैसे-जैसे कल्याणकारी राज्य के आगमन के साथ सरकार के कार्य कई गुना बढ़ते गए, यह तेजी से महसूस होने लगा कि सिविल सेवा का ढांचा नए कार्यों को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं था जो अक्सर विशेष और उच्च तकनीकी चरित्र के होते थे।इन नई समस्याओं से निपटने के लिए सिविल सेवा की अपर्याप्तता का एहसास हुआ और यह आवश्यक हो गया कि

च

जी.

एच.

इन नई समस्याओं से निपटने के लिए एक नया साधन या प्रशासनिक उपकरण तैयार करें।इन परिस्थितियों में और इस प्रशासनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निगम सरकार की तीसरी शाखा के रूप में अस्तित्व में आया।"14. नगरपालिका नगर परिषद और नगर निगम, जो राज्य अधिनियमों द्वारा बनाए गए हैं, सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जो निकाय सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त करते हैं।यह अच्छी तरह से तय है कि नगर निगम सरकार के साधन या एजेंसी हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि क्या नगरपालिका अधिनियम के तहत गठित नगर नगर परिषद को सरकार का विभाग माना जा सकता है।अधिनियम, 1974 के तहत राज्य सरकार को धारा 2 (i) में परिभाषित किया गया है।राज्य बोर्डों के गठन में, राज्य सरकार राज्य के भीतर काम करने वाले स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों, राज्य सरकार के स्वामित्व, नियंत्रित या प्रबंधित कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों के साथ-साथ उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकारियों को नामित करती है।अधिनियम, 1974 की धारा 4, जो राज्य बोर्डों के गठन से संबंधित है, इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

“4. राज्य बोर्डों का गठन (1) राज्य सरकार

इस अधिनियम के तहत उस बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कार्यों का पालन करने के लिए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन करेगा, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए।

ई.

(2) एक राज्य बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्-(क) एक अध्यक्ष, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो या उपरोक्त मामलों से निपटने वाले संस्थानों के प्रशासन में ज्ञान और अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगाः

च

जी.

बशर्ते कि अध्यक्ष या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक हो सकता है जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे; (बी) राज्य सरकार द्वारा उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या, पांच से अधिक नहीं;

एच.

319

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम बी. हीरा नाइक और ओआरएस। ईटीसी। [अशोक भूषण, जे।] ए.

(ग) राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर काम करने वाले स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों में से पांच से अधिक व्यक्तियों को नामित नहीं किया जाएगा।

(घ) कृषि, मत्स्य पालन या उद्योग या व्यापार या किसी अन्य हित के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले गैर-अधिकारियों की ऐसी संख्या, जो तीन से अधिक नहीं हो, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य सरकार की राय में किया जाना चाहिए;

(ई) राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या प्रबंधित कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो व्यक्ति, जिन्हें उस सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;

ग

(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव, जिसके पास प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग या प्रबंधन पहलुओं की योग्यता, ज्ञान और अनुभव हो।

डी.

(3) प्रत्येक राज्य बोर्ड उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट नाम के साथ एक निगमित निकाय होगा, जिसके पास इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संपत्ति का अधिग्रहण और निपटान करने और अनुबंध करने की शक्ति के साथ स्थायी उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और वह उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

ई.

(4) इस धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई राज्य बोर्ड का गठन नहीं किया जाएगा और किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, केंद्रीय बोर्ड उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगा और उनके कार्यों का पालन करेगाः

च

बशर्ते कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में केंद्रीय बोर्ड इस उप-धारा के तहत अपनी सभी या किसी भी शक्ति और कार्यों को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को सौंप सकता है जो केंद्र सरकार निर्दिष्ट करे।"

जी.

15. उपरोक्त प्रावधान द्वारा वर्णित अधिनियम की योजना से संकेत मिलता है कि बोर्ड में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग-अलग सदस्य हैं, राज्य में काम करने वाले स्थानीय प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग-अलग सदस्य हैं और राज्य के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन वाली कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग-अलग सदस्य हैं।

एच.

सरकार।सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन वाली कंपनियाँ या निगम सभी अधिनियम में उपयोग की जाने वाली अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हैं। यह पता लगाना होगा कि क्या कोई संस्थान निगम है या सरकार का विभाग है, यह उस योजना से पता लगाया जाना चाहिए जिसके तहत इसे बनाया गया है।यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई संस्थान एक निगम है या सरकार का एक विभाग है, परीक्षणों में से एक यह जांच करना है कि क्या उपक्रम एक जिम्मेदार स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करता है न कि राज्य के किसी विभाग के हिस्से के रूप में।दूसरा परीक्षण यह देखने के लिए होगा कि क्या यह अनुबंध दायित्वों और मुकदमा करने और मुकदमा चलाने की क्षमता से संपन्न है।इसके अलावा, एक मुहर रखने, उपयोग करने और बदलने की शक्ति एक निगम के लिए आकस्मिक है और एक निगम कुल, एक सामान्य नियम के रूप में, केवल अपनी सामान्य मुहर के तहत विलेख द्वारा कार्य या अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम, 1964, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक निकाय निगमित के रूप में एक नगर और नगर नगर परिषदों का प्रावधान करता है।नगरपालिका पर राज्य सरकार का नियंत्रण एक अलग अध्याय, यानी अध्याय XII में प्रदान किया गया है। नगरपालिका क्षेत्र के गठन की योजना और अधिनियम, 1964 के अन्य प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि नगरपालिकाएं सरकार का विभाग नहीं हैं।

ग

डी.

16. हम संविधान (74 वां) संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़े गए भाग IXA, "नगर पालिकाओं" के संवैधानिक प्रावधानों पर भी ध्यान दे सकते हैं।अनुच्छेद 243 पी उपखंड (ई) "नगर पालिका" को अनुच्छेद 243 क्यू के तहत गठित स्वशासन की संस्था के रूप में परिभाषित करता है। संविधान में नगर पालिका को स्वशासन के एक निकाय के रूप में भी परिकल्पित किया गया है।अधिनियम, 1964 और अधिनियम, 1974 के प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिका परिषद को राज्य सरकार का विभाग नहीं माना जा सकता है।यह पता चलने के बाद कि नगर पालिका परिषद सरकार का विभाग नहीं है-क्या उन्हें अधिनियम, 1974 के तहत अभियोजन से मुक्त किया गया है, अगले प्रश्न का उत्तर दिया जाना है।

ई.

च

17. अधिनियम, 1974 का अध्याय VII दंड और प्रक्रिया से संबंधित है।धारा 41, जो सजा और दंड का प्रावधान करती है, "जो कोई भी इसका पालन करने में विफल रहता है" वाक्यांश से शुरू होती है।इसी तरह, धारा 42, जो कुछ कार्यों के लिए दंड से संबंधित है, भी "जो कोई भी" अभिव्यक्ति के साथ शुरू होती है।इसी तरह की अभिव्यक्ति धारा 43,44 और 45 ए में पाई जाती है, जो "जो कोई भी" शब्द से शुरू होती है।इस प्रकार, अधिनियम, 1974 में किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने की परिकल्पना की गई है, जो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन और उल्लंघन करता है।

जी.

एच.

321

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम बी. हीरा नाइक और ओआरएस। ईटीसी। [अशोक भूषण, जे।] ए.

क.

18. नगर नगर परिषद और नगर नगर निगम राज्य द्वारा बनाए या निगमित किए जाते हैं और उन्हें नगर निगम के कार्य सौंपे जाते हैं।निगम को सौंपे गए मुख्य कार्यों में से एक निवासियों को स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना, नगरपालिका क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करना है, जो नगर परिषद और निगम के कर्तव्यों में से एक है।

19. जब नगर पालिका परिषद या निगम द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो क्या उन पर अधिनियम, 1974 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और ऐसे निकायों पर मुकदमा चलाने के लिए कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया क्या है?इस संदर्भ में अधिनियम, 1974 की धारा 47 प्रासंगिक है।धारा 47 में "कंपनियों द्वारा अपराध" शीर्षक शामिल है।धारा 47 (1) धारा 48 के समान है।क्या धारा 47 में उपयोग की गई "कंपनियाँ" अभिव्यक्ति में नगर नगर परिषद और निगम सहित अन्य निगमित निकाय शामिल हो सकते हैं?इसका उत्तर धारा 47 के स्पष्टीकरण में पाया जा सकता है, जो निम्नलिखित रूप में प्रदान करता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए-(क) "कंपनी" का अर्थ है कोई भी निगमित निकाय, और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और

डी.

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ है फर्म में भागीदार।"

ई.

20. एक क़ानून में, एक अभिव्यक्ति की परिभाषा का पता अधिनियम के संदर्भ और योजना के अनुसार लगाया जाना चाहिए। कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में निहित है।कंपनी अधिनियम, 1956 में निहित कंपनी की परिभाषा स्पष्ट रूप से कंपनी की अभिव्यक्ति में उधार नहीं ली गई है जैसा कि अधिनियम, 1974 की धारा 47 में उपयोग किया गया है। कंपनी को अधिनियम, 1974 की धारा 47 में बहुत व्यापक और समावेशी तरीके से परिभाषित किया गया है।व्याख्या में कहा गया है कि "कंपनी" का अर्थ है "कोई भी निगमित निकाय"।इस प्रकार, सभी निकाय निगमों को धारा 47 के अनुसार कंपनी की परिभाषा के भीतर शामिल किया गया है।इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि नगर पालिका परिषद एक निगमित निकाय है, जिसे अधिनियम, 1964 की धारा 10 के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

च

जी.

21. हाकम सिंह बनाम एम/एस में।गैमन (इंडिया) लिमिटेड, (1971)

1 एस. सी. सी. 286, इस न्यायालय ने सी. पी. सी. की धारा 20 के स्पष्टीकरण 2 पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि स्पष्टीकरण 2 में "निगम" शब्द के उपयोग में "कंपनी" भी शामिल है।पैराग्राफ 6 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

एच.

322

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 17 एस सी आर।

“6. अपीलार्थी के वकील का यह तर्क कि स्पष्टीकरण II में "निगम" अभिव्यक्ति में केवल एक सांविधिक निगम शामिल है और भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी नहीं है, हमारे निर्णय में सारहीन है।सिविल प्रक्रिया संहिता "निगम" शब्द का उपयोग करती है जिसका अर्थ है एक कानूनी व्यक्ति और इसमें भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी शामिल है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 29 किसी निगम द्वारा या उसके खिलाफ किए गए मुकदमों से संबंधित है और सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आदेश 20 के तहत निर्दिष्ट निगम का अर्थ केवल एक वैधानिक निगम है और भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी नहीं है।

ग

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि किसी अधिनियम में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति का अर्थ और परिभाषा विशेष क़ानून से निर्धारित की जानी चाहिए।सी. पी. सी. में, धारा 20 के स्पष्टीकरण में, केवल "निगम" शब्द का उपयोग किया गया था, जिसे एक "कंपनी" को भी शामिल करने के लिए माना गया था।22. अलग-अलग कानूनों में अलग-अलग उद्देश्य और उद्देश्य के साथ "कंपनी" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।इस न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों को विभिन्न कानूनों के संदर्भ में कंपनी के अर्थ पर विचार करने का अवसर मिला था।हम उपरोक्त संदर्भ में इस न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के कुछ मामलों पर ध्यान दे सकते हैं।

डी.

ई.

23. सुभाष चंद्र बनाम गुलाब बाई और अन्य, (2016)

4 एस. सी. सी. 750, यह प्रश्न कि क्या एम. पी. आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 23-जे. (ii) के अर्थ के भीतर, "राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रित कंपनी" अभिव्यक्ति को "निगम" को शामिल करने के लिए माना जा सकता है, विचार के लिए आया।इस न्यायालय ने एम. पी. उच्च न्यायालय के एक पूर्ण पीठ के फैसले का उल्लेख किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी धारा 23-जे के दायरे में नहीं आएंगे, जबकि एम. पी. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रंजीत में

च

नारायण हक्सर बनाम सुरेंद्र वर्मा, 1995 एम. पी. एल. जे. 21 ने अभिनिर्धारित किया कि

एम. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली एक कंपनी थी।रंजीत नारायण के मामले में डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ, इस अदालत में विशेष अनुमति याचिका द्वारा मामला लिया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया था और यह अदालत विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए डिवीजन बेंच के फैसले से सहमत थी कि धारा 23-जे में "कंपनी" शब्द में "निगम" शामिल होगा।फैसले के पैराग्राफ 2,4 और 5 नीचे दिए गए हैंः- ए.

जी.

एच.

323

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम बी. हीरा नाइक और ओआरएस। ईटीसी। [अशोक भूषण, जे।] ए.

“2. इन अपीलों के निर्धारण के लिए जो छोटा सवाल आता है वह यह है कि क्या एक सेवानिवृत्त नगर निगम कर्मचारी मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 के अध्याय III-A के तहत बेदखली के लिए आवेदन भी रख सकता है और विशेष रूप से, क्या ऐसा कोई "सेवानिवृत्त कर्मचारी" एक कर्मचारी है।

"राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनी"

उपरोक्त अधिनियम की धारा 23-जे (ii) के अर्थ के भीतर।इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने 2:1 निर्णय (गुलाब बाई बनाम सुभाष चंद्र, (2013) 3 एम. पी. एल. जे. 434) ने उक्त प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया और घोषणा की कि नगर निगम के "सेवानिवृत्त कर्मचारियों" को अधिनियम की धारा 23-जे. (ii) के तहत शामिल नहीं किया जाएगा ताकि इसके अध्याय III-ए के तहत बेदखली के लिए एक आवेदन बनाए रखा जा सके।

ग

4. रंजीत नारायण मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ इस बात की जांच कर रही थी कि क्या मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक कंपनी के स्वामित्व में था या नहीं।

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित "ताकि किसी को भी अधिकार दिया जा सके

डी.

कर्मचारी जो मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 के अध्याय III-ए के तहत बेदखली याचिका बनाए रखने के लिए अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो।सकारात्मक में प्रश्न का उत्तर देते हुए, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों और योजना को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से अध्याय III-A में अंतर्निहित योजना, अभिव्यक्ति

ई.

“ राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनी या

केंद्र सरकार को राज्य सड़क निगम अधिनियम के तहत स्थापित मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जैसे वैधानिक निगमों को भी शामिल करने के लिए समझा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने ऐसा कहते हुए विपिन बनाम में अनुपात को मंजूरी दी।

च

रणजितनारायण, 1986 एम. पी. आर. सी. जे. नोट 11, सोभाग्यमाल बनाम प्रकाश फार्मास्युटिकल्स, ए. आई. आर. 1990 एम. पी. 345 में निर्णय को पलटते हुए।

5. उक्त निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका में, इस न्यायालय ने एक संक्षिप्त आदेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए तर्क और दृष्टिकोण की पुष्टि की।इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

जी.

“हम डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए इस विचार से सहमत हैं कि धारा 23-जे (ii) में "कंपनी" शब्द में विशेष क़ानून के तहत बनाया गया "निगम" शामिल होगा जो केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है।इसलिए एसएलपी को खारिज कर दिया जाता है।"

एच.

(सुरेंद्र वर्मा बनाम रंजीत नारायण हक्सर, 1995 जब एलजे 460 (एससी))

24. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने परस्पर विरोधी निर्णयों को ध्यान में रखते हुए मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।सिविल अपील में बड़ी पीठ का फैसला 22.01.2019 पर दिया गया है।

2016 का **No.1696-**सुभाष चंद्र **(D) Thr**। एल**.** आर**.** बनाम गुलाब

बाई और ओआरएस। दो प्रश्न, जिन्हें बड़ी पीठ के समक्ष भेजा गया था, निर्णय के पैराग्राफ 4 में देखे गए हैं, जो निम्नलिखित प्रभाव के हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“4. अधिनियम के अध्याय IIIA के तहत विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए मकान मालिक की पात्रता पर इस आधार पर सवाल उठाते हुए कि वह अधिनियम की धारा 23-जे (II) में दिखाई देने वाली उक्त अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर एक मकान मालिक नहीं है, उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी।उक्त संशोधन के कारण उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को निर्देश दिया गया।उच्च न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 23-जे (ii) के अर्थ में मकान मालिक नहीं होगा। पीड़ित, वर्तमान अपील दायर की गई है जिसमें इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने एक आधिकारिक घोषणा के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को संदर्भित किया थाः

ग

डी.

(i) क्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रंजीत नारायण हक्सर बनाम में 'कंपनी' शब्द का वैधानिक निगमों में विस्तार। सुरेंद्र वर्मा, 1995 एम. पी. एल. जे. 21 को केवल व्यापारिक गतिविधियों में लगे निगमों तक ही सीमित समझा जाना चाहिए और नगर निगमों सहित वैधानिक निगम अधिनियम की धारा 23-जे. (2) में दिखाई देने वाली उक्त अभिव्यक्ति "कंपनी" के दायरे से बाहर होंगे। (2) यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या अधिनियम की धारा 23-जे. (2) में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित कंपनी" को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर उक्त प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किए जाने से बचाने के लिए एक विस्तृत और उदार व्याख्या की आवश्यकता होगी।"

ई.

च

जी.

25. यह न्यायालय एम. पी. आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करने के बाद, विशेष रूप से धारा 23-ए के उद्देश्य पर विचार करता है।

एच.

325

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम बी. हीरा नाइक और ओआरएस। ईटीसी। [अशोक भूषण, जे।] ए.

जे (ii) ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि धारा 23-जे (ii) में केवल "कंपनी" शब्द का उपयोग किया गया है, उक्त अभिव्यक्ति में नगर निगम भी शामिल होंगे और नगर निगमों के कर्मचारियों को ऐसे लाभकारी प्रावधान के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।पैराग्राफ 5,6 और 7 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“5. हमने अधिनियम की धारा 23-जे में निर्दिष्ट मकान मालिकों की श्रेणियों के लिए उपलब्ध विशेष प्रक्रिया और विशेष मंच को देखा है। इनमें शामिल हैंःसेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी; केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनी के

सेवानिवृत्त कर्मचारी; एक विधवा या तलाकशुदा पत्नी; शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति; रक्षा सेवा का एक सेवानिवृत्त सदस्य। अधिनियम में अध्याय IIIA को शामिल करके एक विशेष प्रक्रिया और विशेष मंच बनाने का उद्देश्य मकान मालिकों की एक श्रेणी को उस परिसर का शीघ्र कब्जा प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावी और त्वरित उपाय प्रदान करना है जिसे उन्होंने पट्टे पर दिया होगा।अधिनियम की धारा 23-जे के तहत परिकल्पित मकान मालिकों की विशेष श्रेणी वे व्यक्ति हैं जो या तो सरकारी सेवा या रक्षा सेवा या केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनी से सेवानिवृत्त हुए हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या विधवा या तलाकशुदा पत्नी जैसे किसी प्रकार के नुकसान से पीड़ित हैं।मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वयं उक्त अभिव्यक्ति के दायरे में मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को शामिल करके अधिनियम की धारा 23-जे (ii) में आने वाले 'कंपनी' शब्द के अर्थ का विस्तार किया था।मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके की गई है।6. यदि अधिनियम के अध्याय IIIA का उद्देश्य सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों की एक श्रेणी के लिए एक त्वरित उपचार और एक विशेष मंच प्रदान करना है, तो हम यह नहीं देखते हैं कि नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिनियम की धारा 23-जे (ii) के प्रावधानों से वैध रूप से कैसे बाहर रखा जा सकता है। ऐसा करना अधिनियम की धारा 23-जे को ही खतरे में डालना होगा।अधिनियम का उद्देश्य जो ऊपर देखा गया है, एक वर्ग यानी सरकारी सेवा आदि को शामिल करके सेवानिवृत्त व्यक्तियों का वर्गीकरण और दूसरे वर्ग यानी नगर निगम का बहिष्कार, हमारे सुविचारित विचार में, धारा 23-जे (ii) के प्रावधानों को संवैधानिक रूप से नाजुक बना देगा।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

7. इसलिए, हमारा विचार है कि नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शामिल करने के लिए अधिनियम की धारा 23-जे (ii) के प्रावधानों को पढ़ने से अधिनियम के अध्याय II आईए के अधिनियमन के पीछे का उद्देश्य आगे बढ़ेगा। इसलिए हम मानते हैं कि अपीलकर्ता-मकान मालिक अधिनियम के अध्याय IIIA द्वारा आदेशित विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाने का पूरी तरह से हकदार था और उसके द्वारा प्राप्त बेदखली की डिक्री को न्यायाधिकरण/मंच के अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर दोष नहीं दिया जा सकता है जिसने मामले का फैसला किया था।"

26. उपरोक्त मामले में, इस प्रकार, हालांकि एम. पी. आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 23-जे. (ii) में "कंपनी" शब्द का उपयोग किया गया था, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इसमें एम. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ-साथ नगर निगम भी शामिल होंगे।

ग

27. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 141 में "कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों" का प्रावधान है।धारा 141 में "एक कंपनी" अभिव्यक्ति का भी उपयोग किया गया है।इस न्यायालय ने कहा था कि धारा 141 में निहित निगमित आपराधिक दायित्व की अवधारणा निगम के प्रति आकर्षित है और

डी.

कंपनी।अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, (2012) 5 एस. सी. सी. 661 में यह अदालत धारा पर विचार करते हुए

141 परिच्छेद 21 और 24 में निम्नलिखित रूप से निर्धारित परक्राम्य लिखत अधिनियमः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

"21. इस मोड़ पर, हम धारा 141 का उल्लेख कर सकते हैं जो कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है।चूंकि विवाद की रीढ़ उक्त प्रावधान पर टिकी हुई है, इसलिए इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"141. कंपनियों द्वारा अपराध।—(1) यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था, और कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगाः

च

जी.

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी किसी व्यक्ति को दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या कि उसने ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया थाः

एच.

327

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम बी. हीरा नाइक और ओआरएस। ईटीसी। [अशोक भूषण, जे।] ए.

क.

बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले वित्तीय निगम में किसी पद या रोजगार के आधार पर कंपनी के निदेशक के रूप में नामित किया जाता है, वह इस अध्याय के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।"

ग

24. धारा 141 "व्यक्ति" शब्द का उपयोग करती है और इसे एक कंपनी को संदर्भित करती है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है।निगमित आपराधिक दायित्व की अवधारणा एक निगम और कंपनी की ओर आकर्षित होती है और यह अधिनियम की धारा 141 के तहत नियोजित भाषा से बहुत अलग है। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान अधिनियम वह है जिसमें स्वयं कंपनी और कुछ परिस्थितियों में कुछ श्रेणियों के अधिकारियों को अपराध का दोषी माना जाता है।"

डी.

ई.

28. आपराधिक विविध मामले में पटना उच्च न्यायालय।2005 का सं. 7268-अरुण कुमार सिंह बनाम। बिहार राज्य और अन्य. ध्यान देते हुए

धारा 141 विशेष रूप से स्पष्टीकरण में कहा गया है कि उसमें दी गई कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम में कंपनी की परिभाषा से अधिक व्यापक है और इसमें कोई भी निगमित निकाय शामिल है।फैसले के पैराग्राफ 12 और 13 इस प्रकार हैंः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

“12. फिर अब तक एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध, सबसे पहले, धारा 141 के प्रावधानों का उल्लेख करना उपयुक्त है।अधिनियम की धारा 141 इस प्रकार हैः

जी.

141. कंपनियों द्वारा अपराध।

(1) यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था, और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, साथ ही साथ

एच.

कंपनी को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा:बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी किसी व्यक्ति को दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या कि उसने ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था; बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले वित्तीय निगम में किसी पद या नियुक्ति के आधार पर कंपनी के निदेशक के रूप में नामित किया जाता है, तो वह इस अध्याय के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ग

(2) .....

व्याख्या:इस खंड के प्रयोजन के लिए।(क) "कंपनी" से कोई भी निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और

डी.

((ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म में भागीदार अभिप्रेत है।

ई.

13. अतः उपरोक्त धारा का स्पष्टीकरण (क) स्पष्ट है कि उसमें दी गई कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम में कंपनी की परिभाषा से अधिक व्यापक है और इसमें कोई भी निगमित निकाय शामिल है।पटना नगर निगम अधिनियम की धारा 5 से यह भी पता चलता है कि कंपनी एक निगमित निकाय है।इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि पटना नगर निगम एन. आई. अधिनियम के तहत एक कंपनी है।

च

उपरोक्त व्याख्या पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण (ए) की सही व्याख्या है।अधिनियम, 1974 की धारा 47 का स्पष्टीकरण और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 का स्पष्टीकरण (क)

समान सामग्री हैं।

जी.

29. इस प्रकार, हम अधिनियम, 1974 के उद्देश्य और उद्देश्य को देखते हुए यह राय रखते हैं कि निगमित निकाय और कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए अपराधों के लिए धारा 47 का सहारा लिया जा सकता है और धारा 49 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है।

एच.

329

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम बी. हीरा नाइक और ओआरएस। ईटीसी। [अशोक भूषण, जे।] ए.

क.

30. इस मामले का एक और पहलू है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।अधिनियम, 1974 की धारा 49 अपराधों के संज्ञान से संबंधित है, जो इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“49. अपराधों का संज्ञान।— (1) कोई अदालत नहीं लेगी

द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान -

(क) बोर्ड या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी; या (ख) कोई भी व्यक्ति जिसने कथित अपराध और शिकायत करने के अपने इरादे के बारे में कम से कम साठ दिनों की सूचना बोर्ड या उपरोक्त रूप में प्राधिकृत अधिकारी को दी है,

ग

और महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से हीन कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगी।

(2) जहां उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत कोई शिकायत की गई है, बोर्ड, ऐसे व्यक्ति की मांग पर, उस व्यक्ति को अपने कब्जे में प्रासंगिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएगाःबशर्ते कि बोर्ड ऐसे व्यक्ति को ऐसी कोई भी रिपोर्ट उपलब्ध कराने से इनकार कर सकता है, यदि उसकी राय में यह जनहित के खिलाफ है।

डी.

ई.

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्रथम श्रेणी के किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी महानगर मजिस्ट्रेट के लिए इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को दो साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास या दो हजार रुपये से अधिक के जुर्माने की सजा देना विधिसम्मत होगा।31. धारा 49 अधिनियम के तहत सभी अपराधों का संज्ञान लेती है। चाहे अपराध धारा 47 या 48 के अंतर्गत आते हैं, इसका किसी अपराध का संज्ञान लेने की न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिनियम, 1974 की धारा 49 का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए संज्ञान लेने के लिए शिकायत दर्ज की है।इस प्रकार, यदि कोई अपराध किसी के द्वारा किया जाता है, तो धारा 49 के तहत इसका संज्ञान लिया जा सकता है।तथापि, हम दोहराते हैं कि निगमित निकाय द्वारा किए गए अपराध धारा 47 द्वारा कवर किए जाने चाहिए, क्योंकि यदि निगमित निकाय द्वारा किए गए अपराध धारा 47 द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो धारा 47 (1) परन्तुक का लाभ उन निगमित निकायों को उपलब्ध नहीं होगा, जो

च

जी.

एच.

330

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 17 एस सी आर।

विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है।इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नगर निगम परिषद जैसे निगमित निकाय द्वारा किए गए अपराध धारा 49 के तहत आते हैं और इसे कंपनी द्वारा अपराध माना जाता है जैसा कि धारा 47 में प्रावधान किया गया है।

32. हम आपराधिक मामले में इस न्यायालय के फैसले को भी देख सकते हैं।

2010 की अपील सं**. 755-**वी**.** सी**.** चिन्नाप्पा गौदर बनाम। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ए**.** एन**.** आर**.** ने **10.03.2015** पर निर्णय लिया**,** जहाँ

कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय

वी. सी. चिन्नाप्पा गौदर (ऊपर) की पुष्टि की गई थी।उपरोक्त में

हालाँकि इस न्यायालय ने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दायर शिकायत को रद्द करने के लिए अपीलार्थी, जो नगर परिषद के नगर आयुक्त भी थे, द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, लेकिन निर्णय का अनुपात इस प्रभाव से है कि अधिनियम, 1974 की धारा 49 के तहत कार्यवाही के लिए धारा 197 Cr.P.C के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि इस न्यायालय के निर्णय में धारा 48 के संदर्भ का उल्लेख किया गया है, लेकिन धारा 48 के संबंध में आगे कोई विचार नहीं किया गया है।

ग

डी.

33. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं के खिलाफ कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दायर शिकायत को रद्द करने में गलती की।

34. नतीजतन, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।उत्तरदाताओं द्वारा धारा 482 Cr.P.C के तहत दायर आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं।मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार शिकायतों पर आगे बढ़ सकते हैं।

ई.

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

च

जी.

एच.